

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल 1-01/2026- /पटना, दिनांक- / /2026

डा० तबस्सुम अहमद, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को अपने निजी खर्च पर दिनांक-18.05.2026 से 06.06.2026 तक की अवधि में विदेश (सऊदी अरबिया, हज )यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

2. डा० अहमद विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से सबधित किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगी।
3. डा० अहमद इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगी।
4. डा० अहमद विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगी।
5. डा० अहमद को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगी।
6. डा० अहमद विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगी।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।
8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


ह०/-  
(रेणु कुमारी)  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/एल 1-01/2026- 312(17) /पटना, दिनांक- 11/03 /2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ डा० तबस्सुम अहमद, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।